

मध्य प्रदेश शासन
पुलिस विभाग



सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005
अंतर्गत
सूचना – पुस्तिका
मध्य प्रदेश पुलिस
जिला हरदा

1. पुस्तिका की पृष्ठभूमि

(सूचना के अधिकार अधिनियम 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 21जून, 2005 द्वारा प्रकाशित होकर दिनांक 13.08.2005 से अन्य प्रांतों सहित मध्य प्रदेश राज्य में भी लागू हैं। इस पुस्तिका का उद्देश्य अधिनियम में प्रस्तावित उपबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार पुलिस विभाग की सभी इकाईयों एवं शाखाओं द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना है एवं

किये जाने वाले समस्त कार्यों, नियमों का अभिलेख इस प्रकार से संधारण करना है जिससे सूचना के अधिकार की अवधारणा को साकार किया जा सके अर्थात् जब कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम के अतर्गत नियमानुसार मांगे तो उसे निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जा सके। उक्त अधि नियम के अतर्गत इस इकाई में सूचनाओं का तत्काल यथासंभव समुचित संकलन करने का प्रयास किया गया है एवं अदतन स्थिति प्रस्तुत है तथापि समयानुसार संशोधित एवं निरपेक्ष सूचनाओं को समाविष्ट किया जावेगा।

2. पुस्तिका का उद्देश्य:—

इस पुस्तिका के माध्यम से यह प्रसारित, प्रचारित किया जाना है कि सूचना का अधिकार एवं इस अधिनियम के अतर्गत मांगी जाने वाली सूचना जन साधारण की जानकारी के लिये नियमानुसार प्रदाय करने हेतु अपनी इकाई एवं शाखाओं में संकलित की जावे। समाज के सभी वर्गों के आम नागरिक,संस्थायें अशासकीय संस्थायें इत्यादि को पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पूर्ण जानकारी पारदर्शिता सहित दी जा सके।

3. पुस्तिका का महत्व:—

यह पुस्तिका जिला पुलिस एवं संबंधित शाखाओं तथा जन साधारण के लिये बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें हरदा पुलिस विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का समावेश है और समय-समय पर इसमें आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी जोड़ी जावेगी।

4. पुस्तिका का प्रारूप

पुस्तिका मूल रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना के अधिकार की धारा 3,4 (1-बी),(1-17),धारा 5(2)ए धारा24, ताई गई अन्य धाराओं की जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई है।

5.परिभाषायें:—

पुस्तिका में प्रयुक्त शब्दावली की परिभाषायें) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित शब्द ही इस पुस्तिका में उपयोग किया गया है। पुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विनिर्दिष्ट 17 बिन्दुओं की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है।

बिन्दु क्रमांक 01

संगठन का स्वरूप:—

(संरचनात्मक ढांचा)

जिला हरदा नव गठित इकाई होकर दिनांक 08.05.1998 को मूल जिला होशंगाबाद से पृथक होकर निर्मित हुआ है। जिला पुलिस इकाई प्रमुख पुलिस अधीक्षक के अधीन जिले की स्वीकृत एवं उपलब्ध की स्थिति इस प्रकार है।

जिला हरदा

बलविवरण	पु. अ.	अति. पु.अ.	उ.पु. अ.	रक्षित निरीक्षक	निरीक्षक	सूबेदार	उ. नि.	स.उ. नि.	प्र. आर.	आर.	बाल आर.
स्वीकृत बल	01	01	02	01	05	01	13	16	48	155	04
उपलब्ध बल	01	01	02		05	01	12	14	44	140	02

● पुलिस विभाग हरदा से संबंधित दूरभाष नम्बर

नाम कार्यालय	अधिकारी का नाम	अफिस नम्बर	निवास	मोबाईल
पुलिस अधीक्षक	श्री के.पी.वेंकटेश्वर राव भा.पु.से.	223277	223288	9425191602
अति.पुलिस अधीक्षक	श्री अखिलेश झा रा.पु.से	223322		9425127151
एस.डी.ओ.पी.	श्री अभिषेक राजन	224571	224570	9425412014
डी.एस.पी. अजाक	श्री अलोक कुमार सिंह	224442		9425129750
रक्षित केन्द्र	सूबेदार श्री अजीत सिंह चौहान	224712		
थाना हरदा	निरीक्षक श्री एन.एस.बैस	222100		9827314342
थाना छीपाबड़	निरीक्षक श्री एस.डी.मूले	251346		9826056568
थाना टिमरनी	निरीक्षक श्री जे.पी.मिश्रा	230231		9424468667
थाना रहटगांव	उ.नि. श्री के.एस.सौलंकी	234433		9425088153
थाना सिराली	उप निरीक्षक श्री मोहन पटेल	256133		9425041789
थाना हंडिया	उप निरीक्षक श्री जे.यु.सिद्धकी	272255		9425445287
थाना अजाक	उ.पु.अ. श्री डी.एस.गौतम	226797		9329033555
थाना यातयात	उप निरीक्षक श्री डी.एल.प्रेम			

-
- फेक्स नम्बर :- 224715
- ई-मेल sp_harda@mppolice.gov.in

● पुलिस का उद्देश्य

1. कानून व्यवस्था बनाये रखना ।
2. व्यक्तियों एवं संपत्तियों की सुरक्षा ।
3. केन्द्र एवं राज्य के संस्थानों की सुरक्षा ।

4. अपराधों की रोकथाम एवं घटित अपराधों की सुरागरसी ।
5. लोक शांति बनाये रखना ।
6. विभिन्न प्रकार के अनुज्ञा पत्र प्रदाय करने की अनुशंसा करना ।
7. अन्य विभागों से आवश्यकता अनुसार समन्वय करना ।
8. आपदाओं का प्रबंधन करना ।
9. आपराधिक अन्वेषण करना ।
10. आसूचना संग्रहण करना ।
11. विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना ।
12. मानव अधिकारों का संरक्षण ।
13. कानून का परिपालन ।
14. जरूरत मंद को सहयोग प्राप्त करने को आतुर ।
15. जनता का सहयोग करने को आतुर ।
16. समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं एवं अन्य पीड़ित लोगों की हमेशा सहायता को तत्पर ।
17. राज्य में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भवना सुनिश्चित करने के लिये सदैव सर्तक ।

● पुलिस के कर्तव्य :

1. सार्वजनिक व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखना ।
2. आंतरिक सुरक्षा कायम रखना ।
3. रेल्वे और ग्राम पुलिस की व्यवस्था करना ।
4. पुलिस प्रशिक्षण शालाओं का संचालन ।
5. शस्त्रागर एवं शस्त्रों का अनुरक्षण ।
6. अपराधों की रोकथाम करना ।
7. अपराधों का अन्वेषण करना ।
8. निगरानी एवं रक्षा करना ।
9. शांति भंग की रोकथाम करना ।
10. यातायात का नियंत्रण करना ।
11. शासन के अन्य विभागों को सत्त सहायता करना ।
12. सम्मनों एवं वारंटों की तामीली करना ।
13. लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ।
14. सामाजिक बुराईयों, अवैध शराब, जुआँ-सट्टा इत्यादि की रोकथाम करना ।
15. आसूचना संकलन करना ।
16. सैनिक शिक्षा नबर सेना, आर्थिक अपराधों की रोकथाम, राजनैतिक अपराधों की रोकथाम करना ।
17. भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी निवारक अपाय करना ।

18. सिविल प्रतिरक्षा करना ।
19. अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार (बायरलेस) पद्धति ।
20. पुलिस पदक की अनुशंसा करना ।
21. भारतीय पुलिस सेवा संबंधित विषय ।
22. राज्य पुलिस सेवा से संबंधित विषय ।
23. ऐसी सेवाओं से संबंध सभी विषय जिनका पुलिस विभाग से संबंध है ।
24. अश्वारोही पुलिस ।
25. विशेष सशस्त्र बल ।
26. जनता के साथ संबंध ।
27. रोगी, दीनहीन व्यक्ति एवं यातियों को सहायता करना ।
28. महामारियों के समय चिकित्सकों के संपर्क में रहना एवं सहायता करना ।
29. अग्निशमन का कार्य ।
30. प्रकृतिक प्रकोप के दौरान आम जनता की सहायता करना । जन्म एवं मृत्यू के सूचना का संधारण करना ।

● फील्ड यूनिट

नाम कार्यालय	अधिकारी का नाम
पुलिस अधीक्षक कार्यालय	श्री के.पी.वेंकटेश्वर राव भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश झा रा.पु.से अति.पुलिस अधीक्षक
अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)	श्री अभिषेक राजन
रक्षित केन्द्र	सूबेदार श्री अजीत सिंह चौहान
थाना हरदा	निरीक्षक श्री एन.एस.बैस
थाना छीपाबड़	निरीक्षक श्री एस.डी.मूले
थाना टिमरनी	निरीक्षक श्री जे.पी.मिश्रा
थाना रहटगांव	उप निरीक्षक श्री के.एस.सौलंकी
थाना सिंराली	उप निरीक्षक श्री मोहन पटेल
थाना हंडिया	उप निरीक्षक श्री जे.यु.सिद्धकी
थाना अजाक	उ.पु.अ. श्री डी.एस.गौतम
थाना यातयात	उप निरीक्षक श्री डी.एल.प्रेम

- सहयोगी दल
 - सहायक उप निरीक्षक
 - प्रधान आरक्षक
 - आरक्षक

पुलिस अधीक्षक कार्यालय का खुलने का समय 10:30 बजे
कार्यालय बंद होने का समय : प्रायः सांय 05:30 बजे

बिन्दु क्रमांक :- 2

पद नाम	पुलिस अधीक्षक	
शक्तियाँ	प्रशासकीय	पुलिस अधीक्षक जिले में आरक्षी विभाग का प्रमुख है, और प्रशासन की इस शाखा से संबंधित सभी विषयों में जिला प्रशासन का पूरक अंग है। <ol style="list-style-type: none"> 1. म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन 2. म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 3. म.प्र. सविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण अपील नियम 4. मूलभूम एवं पूरक नियम 5. समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेश एवं परिपत्र 6. पुलिस राजपत्र आदेश के अन्तर्गत समस्त नियमों के कार्यपालक अधिकारी है।
	वित्तीय	पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य शासन द्वारा प्रदत्त बजट आवंटन के अर्न्त विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त है।
	अन्य	पुलिस वेबसाईट में अन्य सभी शाखाओं का विवरण अपलब्ध है।
कर्तव्य	राज्य शासन के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट एवं अन्तर्निहित समस्त सौंपे गये दायित्व तथा पुलिस रेग्युलेशन के उपबन्धों के अधीन विवरणित ।	

बिन्दु क्रमांक :- 3

लिपिक वर्ग से प्रस्तुत सतस्त पत्राचार डाक एवं वरिष्ठ तथा कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से प्राप्त प्रपत्र अपेक्षित जानकारियाँ आवेदन एवं प्रतिवेदन पर प्रशासनिक प्रस्ताव शाखा बार निराकरण हेतु संबंधित प्रभारी पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों की ओर से टीप प्राप्त करते हुये निराकरण किया जाता है अथवा अनुसंसात्मक अभिमत के साथ वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है। जिले में थाना बार पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों के द्वारा अपने अपने नियंत्रणाधीन थाना क्षेत्र की समस्त जाँच कार्यावाहीयाँ सुनिश्चित की जाती है। राज्स शासन एवं विभागीय निर्देशानुरूप अपेक्षित जाँच कार्यवही राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाती है।

बिन्दु क्रमांक :- 4

पुलिस विभाग में प्रत्येक इकाई के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने एवं गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी माप दण्ड पुलिस रेग्युलेशन के माप से विभागीय स्तर पर विभाजित है। एवं पुलिस मुख्यालय से ही राज्य शासन की नीती निर्धारणन्तर्गत निर्देश प्रसारण किये गये है। विस्तृत विवरण पुलिस विभाग की वेब साईडूण्डूचवसपबमणहवअण्पद में उपलब्ध है।

जिला हरदा में शिकायतों के निकाल हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश झा नोडल अधिकारी मनोनित किये गये है। इनकी सहायक अधिकारी प्र.आर. श्री फूल जेन्स टोप्पो एवं स्टेनो श्री रवि चौबे है। श्री रवि चौबे के द्वारा जनता विरुद्ध पुलिस शिकायतों का संकलन जाँच हेतु प्रेषण एवं निराकरण हेतु प्रस्तुति की जाती है। श्री फूल जेन्स टोप्पो के द्वारा जनता विरुद्ध जनता शिकायतों का उपरोक्तानुसार संधारण किया जाता है। इसी प्रकार जिला पुलिस कार्यालय में प्राप्त अजा/अजजा विरुद्ध सर्वण शिकायतों को प्रायः डी.एस.पी. अजाक अलोक कुमार सिंह द्वारा निराकरण हेतु प्रेषित किया जाता है। पुलिस को प्राप्त होने वाली शिकायतों को निम्नानुसार तीन भागों में विभगक्त किया जाकर कार्यालय में मुख्यतः जनता विरुद्ध जनता, जनता विरुद्ध पुलिस एवं अजा/अजजा विरुद्ध सर्वण में उनकी जाँच पूर्ण करने की समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

शिकायत का विषय	श्रेणी	समय सीमा
पुलिस द्वारा जनता से दुर्व्यवहार प्रताड़ना, अवैध निरोध, भ्रष्टाचार, दहेज प्रताड़ना एवं हत्या संबंधी शिकायतें	“अ”	15 दिवस
अपराध पंजीबद्ध नहीं करना, झूठा प्रकरण दर्ज करना, दर्ज अपराध एवं शिकायत पर कार्यवाही न करने संबंधी शिकायतें	“ब”	20 दिवस
भूमि संपत्ति विवाद, परिवारिक विवाद, अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी नहीं करना अदि समान्य प्रकार की शिकायतें	“स”	30 दिवस

बिन्दु क्रमांक 05

विभाग सं संबंधित नियम / अधिनियम :-

1. पुलिस अधिनियम 1861
2. मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल एवं रेग्युलेशन
3. मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल 1968 एवं 1973
4. पुलिस विभाग से संबंधित जी.ओ.पी.
5. मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्र ।
6. पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्र ।

- कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

1. पुलिस विभाग अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्नानुसार है।

अभिलेख का नाम :-

1. भारतीय दण्ड विधान
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता
3. पुलिस अधिनियम 1861
4. लघु अधिनियम
5. म.प्र. पुलिस रेग्युलेशन
6. पुलिस राजपत्र आदेश
7. म.प्र. शासन के पुलिस विभाग से संबंधित परिपत्र

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी पुलिस वेबसाईट पर उपलब्ध है :-

Madhya Pradesh Police Regulation
CONTENTS
PART - I (THE POLICE FORCE) P.R. 1 - 37
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (The Constitution and Organization of the State Police Force) 1 - 9 ▪ CHAPTER II (Position and Duties of Superior Inspector General) 10-37
PART - II (ADMINISTRATION) P.R. 38 - 320
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (Appointments and Enlistments) 38 - 64 ▪ CHAPTER II (Promotions and Rewards) 65 - 85 ▪ CHAPTER III (Drill and Instruction of Constables) 86 - 114 ▪ CHAPTER IV (Training and Examination) 115 - 152 ▪ CHAPTER V (Special Armed Force and Mounted Police) 153 - 171 ▪ CHAPTER VI (Leave) 172 - 196

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER VII (Transfer and Traveling Allowance) 197 - 212 ▪ CHAPTER VIII (Punishment and prosecution of Police Officers) 213 - 250 ▪ CHAPTER IX (Resignation Discharge and Re-Enlistments) 251 - 261 ▪ CHAPTER X (Appeals and Petitions) 262 - 275 ▪ CHAPTER XI (Pension and Gratuities) 276 - 291 ▪ CHAPTER XII (Housing and Medical Aid) 292 - 306 ▪ CHAPTER XIII (Buildings) 307 - 320
PART - III (FUNCTIONS POWERS AND DUTIES) P.R. 321 - 507
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (Functions, Powers and Duties of Police Officers) 321 - 342 ▪ CHAPTER II. (Duties under Special Local Laws) 343 - 404 ▪ CHAPTER III (Miscellaneous Duties Imposed by Executive Orders) 405 - 430 ▪ CHAPTER IV (Maintenance of Order and Public Safety) 431 - 448 <ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER V (Watch and Ward in Towns) 449 - 453 ▪ CHAPTER VI (Guards and Escorts) 454 - 495 ▪ CHAPTER VII (Inquests) 496 - 507
PART - IV (THE HEAD QUARTER STAFF AND THEIR DUTIES) P.R. 508 - 574
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (STAFF) 508 - 533 ▪ CHAPTER II (The Head -Quarters Lines) 534 - 537 ▪ CHAPTER III (Clothing, Stores and Ammunition) 538 -574
PART - V (THE WORKING OF POLICE STATIONS) P.R. 575 - 709
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (The Police Station and its Staff) 575 - 607 ▪ CHAPTER II (The Police Station and its Daily Work) 608 - 674 ▪ CHAPTER III (Village Officers) 675 - 690 ▪ CHAPTER IV (Miscellaneous) 691 - 709
PART VI (CRIME AND CRIMINALS) P.R. 710 - 861
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (Investigation of Crime) 710 - 790 ▪ CHAPTER II (Special Procedure In Certain Cases) 791 - 806 <ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER III (Treatment of Persons Arrested) 807 - 817 ▪ CHAPTER IV (Identification of old Offenders) 818 - 831 ▪ CHAPTER V (EXPERTS) 832 -833 ▪ CHAPTER VI (Conduct of Cases) 834 -838 ▪ CHAPTER VII (Security for good Behaviors) 839 - 842 ▪ CHAPTER VIII (Surveillance) 843 - 861
PART - VII (MISCELLANEOUS) P.R. 862 - 973
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHAPTER I (Tours and Inspection) 862 - 877 ▪ CHAPTER II (Office Work) 878 - 910 ▪ CHAPTER III (Accounts and Records) 911 - 963 ▪ CHAPTER - IV (Miscellaneous) 964 - 973
Appendix -A
Promotion Rules

Appendix -B	Physical Inspection of candidates.
Appendix -C	Rules for President's Police and Fire Service Medal
Appendix -D	Excise Act
Appendix -E	M.P. Police Benevolent Fund
Appendix -F	Food During Emergency duties.

Chapter	Title	Sections
Chapter 1	PRELIMINARY	Sections 1-5
Chapter 2	CONSTITUTION OF CRIMINAL COURTS AND OFFICES	Sections 6-25
Chapter 3	POWER OF COURTS	Sections 26-35
Chapter 4	POWERS OF SUPERIOR OFFICERS OF POLICE	Sections 36-40
Chapter 5	ARREST OF PERSONS	Sections 41-60
Chapter 6	PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE	Sections 61-90
Chapter 7	PROCESSES TO COMPEL THE PRODUCTION OF THINGS	Sections 91-105
Chapter 8	SECURITY FOR KEEPING THE PEACE AND FOR GOOD BEHAVIOR	Sections 106-124
Chapter 9	N.A.	Sections 125-128
Chapter 10	MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER AND TRANQUILITY	Sections 129-148
Chapter 11	PREVENTIVE ACTION OF THE POLICE	Section 149-153
Chapter 12	INFORMATION TO THE POLICE AND THEIR POWERS TO INVESTIGATE	Section 154-176
Chapter 13	JURISDICTION OF THE CRIMINAL COURTS IN INQUIRIES AND TRIALS	Section 177-189
Chapter 14	CONDITIONS REQUISITE FOR INITIATION OF PROCEEDING	Section 190-199
Chapter 15	COMPLAINTS TO MAGISTRATES	Section 200-203
Chapter 16	COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS BEFORE MAGISTRATES	Section 204-210
Chapter 17	THE CHARGE	Section 211-224
Chapter 18	TRIAL BEFORE A COURT OF SESSION	Section 225-237
Chapter 19	TRIAL OF WARRANT-CASES BY MAGISTRATES	Section 238-250
Chapter 20	TRIAL OF SUMMONS-CASES BY MAGISTRATES	Section 251-259
Chapter 21	SUMMARY TRIALS	Section 260-265
Chapter 22	ATTENDANCE OF PERSONS CONFINED OR DETAINED IN PRISONS	Section 266-271
Chapter 23	EVIDENCE IN INQUIRIES AND TRIALS	Section 272-299
Chapter 24	GENERAL PROVISIONS AS TO INQUIRIES AND TRIALS	Section 300-327
Chapter 25	PROVISIONS AS TO ACCUSED PERSONS OF UNSOUND MIND	Section 328-339
Chapter 26	PROVISIONS AS TO OFFENCES AFFECTING THE ADMINISTRATION OF JUSTICE	Section 340-352
Chapter 27	THE JUDGMENT	Section 353-365
Chapter 28	SUBMISSION OF DEATH SENTENCES FOR CONFIRMATION	Section 366-371
Chapter 29	APPEALS	Section 372-394

Chapter 30	REFERENCE AND REVISION	Section 395-405
Chapter 31	TRANSFER OF CRIMINAL CASES	Section 406-412
Chapter 32	EXECUTION, SUSPENSION, REMISSION AND COMMUTATION OF SENTENCES	Section 413-435
Chapter 33	PROVISIONS AS TO BAIL AND BONDS	Section 436-450
Chapter 34	DISPOSAL OF PROPERTY	Section 451-459
Chapter 35	IRREGULAR PROCEEDINGS	Section 460-466
Chapter 36	LIMITATION FOR TAKING COGNIZANCE OF CERTAIN OFFENCES	Section 461-473
Chapter 37	LIMITATION FOR TAKING COGNIZANCE OF CERTAIN OFFENCES	Section 474-484

INDIAN PENAL CODE

CHAPTER I: INTRODUCTION

CHAPTER II: GENERAL EXPLANATIONS

CHAPTER III: OF PUNISHMENTS

CHAPTER IV : GENERAL EXCEPTIONS

CHAPTER V :OF ABETMENT

CHAPTER V(A) : CRIMINAL CONSPIRACY

CHAPTER VI : OF OFFENCES AGAINST THE STATE

CHAPTER VII: OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY, 74 [NAVY AND AIR FORCE]

CHAPTER VIII: OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILITY

CHAPTER IX: OF OFFENCES BY OR RELATING TO PUBLIC SERVANTS

CHAPTER IX(A) : OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS

CHAPTER X OF CONTEMPT OF THE LAWFUL AUTHORITY OF PUBLIC SERVANTS

CHAPTER XI OF FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE

CHAPTER XII OF OFFENCES RELATING TO COIN AND GOVERNMENT STAMPS

CHAPTER XIII OF OFFENCES RELATING TO WEIGHTS AND MEASURES

CHAPTER XIV OF OFFENCES AFFECTING THE PUBLIC HEALTH, SAFETY, CONVENIENCE, DECENCY AND MORALS

CHAPTER XV: OF OFFENCES RELATING TO RELIGION

CHAPTER XVI: OF OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY

CHAPTER XVII: OF OFFENCES AGAINST PROPERTY

CHAPTER XVIII OF OFFENCES RELATING TO DOCUMENTS AND TO 173[***] PROPERTY

MARKS

CHAPTER XIX: OF THE CRIMINAL BREACH OF CONTRACTS OF SERVICE

CHAPTER XX: OF OFFENCES RELATING TO MARRIAGE

CHAPTER XXA : OF CRUELTY BY HUSBAND OR RELATIVES OF HUSBAND

CHAPTER XXI: OF DEFAMATION

CHAPTER XXII: OF CRIMINAL INTIMIDATION, INSULT AND ANNOYANCE

CHAPTER XXIII : OF ATTEMPTS TO COMMIT OFFENCES

FOOT NOTES

विस्तृत विवरण पुलिस विभाग की www.mppolice.gov.in में उपलब्ध है।

INDIAN BARE ACTS**INDIAN EVIDENCE ACT, 1872****PART I : RELEVANCY OF FACTS**

- CHAPTER I PRELIMINARY SECTIONS 1-4
- CHAPTER II OF THE RELEVANCY OF FACTS SECTIONS 5-55

PART II : ON PROOF

- CHAPTER II FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED SECTIONS 56-58
- CHAPTER IV OF ORAL EVIDENCE SECTIONS 59-60
- CHAPTER V OF DOCUMENTARY EVIDENCE SECTIONS 61-90
- CHAPTER VI OF EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE SECTIONS 91-100

PART III : PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE

- CHAPTER VII OF THE BURDEN OF PROOF SECTIONS 101-114
- CHAPTER VIII ESTOPPEL SECTIONS 115-117
- CHAPTER IX OF WITNESSES SECTIONS 118-134
- CHAPTER X OF EXAMINATION OF WITNESSES SECTIONS 135-166
- CHAPTER XI OF IMPROPER ADMISSION AND REFECTION OF WITNESS SECTION 167

- FOOT NOTES

विस्तृत विवरण पुलिस विभाग की www.mppolice.gov.in में उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक 06

अभिलेख का नाम :-

- समस्त अपराधों की जानकारी
- अपराधों का तुलनात्मक नक्शा
- यात्रा भत्ता
- सामान्य भविष्य निधी
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति
- वेतन पत्रक
- मासिक अपराध विश्लेषण
- क्राईम इन एम.पी.
- दंगा का मासिक नक्शा
- आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु एवं आत्म हत्यायें एवं परिवारिक आत्महत्यायें
- क्राईम इन इण्डिया ।
- उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी

क्रमांक	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
01	यात्रा भत्ता बिल			उप निरीक्षक एम श्रीमती मंजूलता पर
02	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल			सउनि एम ओ.पी. पारासर
03	सामान्य भविष्य निधी			उप निरीक्षक एम श्रीमती मंजूलता पर
04	स्टैटिस्टिकल डाटा	एम.ए.सी		प्र.आर. 141 नर्मदा रघुवंशी
05	सांख्यिकीय आंकड़े	आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं आत्महत्यायें तथा पारिवारिक आत्महत्याओं की जानकारी		प्र.आर. 141 नर्मदा रघुवंशी
06	स्टैटिस्टिकल डाटा	क्राइम इन एम.पी.	एस.टी.ओ. द्वारा अधीनस्थ इंचार्ज एस.टी. सी को आवेदन देकर प्राप्त कर सकते है।	प्र.आर. 141 नर्मदा रघुवंशी
07	क्राइम इन इंडिया	क्राइम इन इंडिया समस्त	पुलिस अधीक्षक कम्प्यूटर को आवेदन दिया जायेगा, जो एसटीओ / एस.टी.ओ से प्राप्त कर सकते है।	प्र.आर. 141 नर्मदा रघुवंशी
08	सांख्यिकीय आंकड़े	मासिक आपराधिक सांख्यिकीय आंकड़े	पुलिस अधीक्षक हरदा को आवेदन दिया जायेगा पु.अ./एसटीसी इन्चार्ज से प्राप्त करेगा जिससे जानकारी प्राप्त हो सकेगी	प्र.आर. 141 नर्मदा रघुवंशी

बिन्दु क्रमांक 07

नीति निर्धारण व क्रार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण :-

जिले में सामुदायिक पुलिसिंग के प्रभारी श्री अलौक कुमार सिंह डी. एस.पी. अजाक प्रथम को मनोनित किया गया है। जिनके सहायक सउनि के.एल. गुजरे है जिनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जन सहयोग सुनिश्चित करनेके लिये विधि/ व्यवस्था :

- परामर्शदात्री समिति
- जनशिकायत निवारण जन संवाद शिविरों का आयोजन
- इकाई स्तर पर क्षेत्रीय जन संवाद शिविरों का आयोजित खुला दरबार
- पुलिस मैत्री शिविर का आयोजन
- पुलिस चिकित्सा शिविरों का आयोजन
- पुलिस ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति सम्मेलनो का आयोजन

नीति निर्धारण हेतु

लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जतना या जनप्रतिनिधी की परामर्श / भागीदारी का कोई नीतिगत प्रावधान नहीं है। किन्तु परामर्शदात्री समितियों की बैठक, ग्रामा एवं नगर रक्षा समितियों के सम्मेलन एवं जनसंवाद में निरूपित सुझाव एवं विभागीय स्तर से राज्य शासन की ओर अनुसंसित किये जा सकते है।

- जन संवाद
- शांति समिति का गठन, बैडक एवं परिचर्चा

क्रमांक	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिर्वाय है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
01	तात्कालिक जनहित का कोई विषय	तात्कालिक विषय वस्तु पर निर्भर है। एवं सुझाव प्राप्ती हेतु आयोजित की जा सकती है। कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से इसके महत्व एवं उपयोगिता का पृथक से आंकलन किया जा सकता है।	राज्य शासन की मंशा के अनुरूप विभागीय निर्देशों से नियंत्रित की जाती है।

● नीति के क्रियान्वयन हेतु

लोक प्रधिकरण द्वारा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में जनाता य जन प्रतिनिधी से / की परामर्श/भागीदारी का काई प्रवधान है। किन्तु परामर्शदात्री समितियों की कोई बैठक, ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों का सम्मेलन एवं जन संवाद में निरूपित सुझाव एवं निष्कर्षोंको आवश्यक स्थानीय जिला प्रशासन, जिला योजना समिति एवं विभागीय स्तर से राज्य शासन की ओर अनुसंशित किये जा सकते है।

क्रमांक	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिर्वाय है? (हाँ / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
	तात्कालिक	तात्कालिक विषय वस्तु पर निर्भर है।	प्रसतावित है कि नितिगत विषयों पर अंतिम निर्णय पारित करने के पूर्व जनता का अभिमत इलैक्ट्रानिक माध्यम से लिया जावेगा।

Community Involvement

Rural Areas

- Village youth to be selected by the community for training to perform police functions within the village.
- Number of persons should be passed on same norms, say one persons per hamlet or one persons per 100 households.
- They should consist of women and person belonging to deprived groups because:
- Traditionally kotwals came from deprived communities.
- More importantly, community police largely consisting of the women and deprived classes and communities would lead to more balanced power sharing by counter veiling the money and power influences of social status in the village community.
- Persons selected to be such as are most likely to live in the villages.
- Educational qualification may be flexible.
- All should be provided through training for the police functions required to be discharged in the rural context.
- Women to be trained initially separately with an arrangement for joint-training for some time towards the end of the training programs.
- Village police should be under the control of Gram Sabha.
- It should perform the following functions:
- Maintenance of order, peace and tranquility in the village.
- Prevention of crime by appropriate watch and ward duty, keeping eye on the visit, movement and conduct of outsiders/strangers.
- Investigation and detection of minor crimes, to be defined as those that are compoundable or as can be further made compoundable by appropriate amendments of laws.

- Prosecution of these cases in the Gramsabha/ Gram Nyayalaya.
- Maintenance of order and smooth flow of traffic during special social, religious congregation like fairs.
- An arrangement of net-working amongst a cluster of villages so that a village in the time of special need may call upon community police of other village to assist.
- Community women police, in addition to be usual responsibility may also be entrusted with the task of acting during domestic violence and atrocities on women. Similar approach may be adopted for urban areas with the difference that :
 - There may be higher qualifications for the trainees.
 - Wards and neighborhoods may be put in place.
 - Instead of the Gramsabha, Wardsabha may supervise the work of community police.
 - A system of registration of private security agencies operating in housing complexes factories and major establishments may be put in place.
 - Closer interaction of the police station with the community police may be organized because of proximity and easy accessibility.
 - Advisory Committee at the police station may have representatives of community police system in the wards under the jurisdiction of the urban police station.

Police Stations

- An advisory committee should be constituted for a police station.
- It should have proportionate representation from women and deprived communities.
- Representatives of the 3 tier panchayat and local urban bodies in the area should also be included.
- Voluntary agencies of high reputation may also be included.
- There should be no educational qualifications but preference may be given to educated/ enlightened citizens.
- Advisory committee should meet at least once in a month.
- Where there is a major crime or break-down of law and order it should meet as early as possible to take stock of the situation.
- The committee should review the function of the police during the month, look into grievances and complaints given by the citizens, make arrangement for their expeditions redressal satisfactory to the citizens, monitor the progress in investigations of crimes and in presenting challans.
- Approve, sending of final reports advise for further investigations.
- Approve putting off challans.
- Recommend the appointment of special police officers for areas and periods to be specified.

Nomination to Advisory Committee

- Nominations to Advisory Committee should not be treated as a matter patronage.
- Nominations should be non-partisan and for the purpose of making police pro-people and to establish be close community police interaction.
- The mechanism of nomination should involve consultation and consent of the ruling as well as opposition groups.

बिन्दु क्रमांक : 08

जिला हरदा में सामुदायिक पुलिसिंग के तारतम्य में निम्नलिखित समितियों कार्यरत है। श्री अखिलेश झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ग्राम/नगर रक्षा समिति, श्री अभिषेक राजन एस.डी.ओ.पी. हरदा के द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र, श्री डी.एस.गौतम उ.पु.अ. अजाक द्वितीय थाना प्रभारी अजाक के द्वारा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र एवं श्री एन.एस.बैस नगर निरीक्षक हरदा द्वारा शांति समिति का संचालन किया जा रहा है।

● परिवार परामर्श केन्द्र

परिवार परामर्श केन्द्र हरदा का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 11617 / 2002 है। परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन एस.डी.ओ.पी. हरदा श्री अभिषेक राजन के नेतृत्व में किया जा रहा है। माह में दिनोंक 7,15,17,21,25,30 को परिवार परामर्श हेतु दोनों पक्षों को उनके परिवार के साथ बुलाकर संचालित किया जाता है। परिवार परामर्श केन्द्र में निम्न लिखित सदस्य है :-

जिनके संयुक्त क्रम में समुचित अभिलेख संधारण किया जा रहा है।

1. श्रीमति मेहरू निशा खान उम्र 50 वर्ष अन्नापुरा हरदा व्यवसाय गृह कार्या एवं समाज सेवा।
2. श्री हेमराज पिता चतुर्भुज पवार निवासी नगीन कालोनी हरदा।
3. श्रीमति माला पति भाग चन्द्र केथवास निवासी टिमरनी व्यवसाय गृह कार्या एवं समाज सेवा।
4. श्रीमति सुरेन्द्र कौर पति अमीर सिंह निवासी गांधी चौक हरदा व्यवसाय गृह कार्या एवं समाज सेवा।
5. श्रीमति शीला पति यजेन्द्र अग्निहोत्री निवासी नेहरू पार्क हरदा व्यवसाय गृह कार्या एवं समाज सेवा।
6. श्री शेख मुईन पिता शेख ईशार व्यख्याता डिग्री कालेज सुभाष बार्ड हरदा को काउंसिलिंग हेतु सदस्य मनोनित किया गया है।

● परिवार परामर्श द्वारा किये जाने वाले कार्य

परिवार परामर्श केन्द्र हरदा के द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रत्येक 06 दिवसों में उपस्थित रहकर सभी सदस्यगण के द्वारा परामर्श हेतु आने वाले पति पत्नी माता पिता व अन्य महत्वपूर्ण रिश्तेदार साक्षियों से चर्चा एवं कूट परिक्षण करते हुये आये। दमपत्तियों की परेशानियों का कारण खेज कर तदानुसार उन्हे उचित सामाजिक मनोवेज्ञानिक एवं दोनों परिवारों रिश्तेदारों पर उत्पन्न संकट को सुलझाने की दिशा में परामर्श देते हुये सुख पूर्वक जीवन यापन करने की समझाईश दी जाती है। वस्तुतः इन केन्द्रों में शासन की मसानुरूप संवेदनशील के दृष्टिगत परिवार विघटन को रोकने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि प्रायः ऐसी सूचना दस्तनदाजी स्वरूप की हो सकती है तथापि कतिपय विघटन कारणों को खोजकर दूर कर देने से परिवारिक समस्या समाप्त

होकर पुनः खुशहाल दामपत्य जीवन संभावित हो जाता है और पुलिस के द्वारा इस हेतु सूझबूझ एवं कारगर प्रयास किये जाते हैं।

■ ग्राम रक्षा समिति

- जिला हरदा में कुल ग्रामों की संख्या :- 452
- वीरान ग्रामों की संख्या :- 30
- जिन ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियों का गठन हुआ :- 467
- ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों की संख्या :- 4259
- निष्क्रिय ग्राम रक्षा समितियों की संख्या :- " निरंक"

■ नगर रक्षा समिति

- जिला हरदा में कुल वार्डों की संख्या :- 60
- जिन वार्डों में नगर रक्षा समिति का गठन हुआ :- 60
- नगर रक्षा समिति के सदस्यों की संख्या :- 603
- निष्क्रिय नगर रक्षा समितियों की संख्या :- निरंक

○ ग्राम / नगर रक्षा समितियों से लिये जा रहे कार्य

- रात्रि में ग्रामों एवं कस्बों में गश्त
- क्षेत्र में लगने वाले मेले एवं त्यौहारों में व्यवस्था कार्य ।
- तनाब की स्थिति में शांति हेतु विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य ।
- गंभीर अपराधों में सूचना संकलन एवं बदमाशों की पतासाजी ।
- बेम्यादी वारंटों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पतासाजी ।

○ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र

जिला हरदा में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र दिनांक 14.11.2002 से कार्यरत है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 11463/02 है। इसकी कार्यकारणी की संख्या 08 है। इसके अध्यक्ष श्री ए.के.झा अति.पुलिस अधीक्षक हरदा है। उपाध्यक्ष श्री डी.एस.गौतम उप पुलिस अधीक्षक द्वितीय है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है :-

- समस्त भूमि विवाद के प्रकरण
- ऋण ग्रस्तता एवं उसके पश्चात के प्रकरण ।
- अजा/अजजा वर्ग के बीच सामान्य विवाद के प्रकरण ।

- सभी प्रकार के आवेदन जो अन्य विभाग से सहायता प्रदान करवाने या अधुरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये आवश्यक है।

वस्तुतः इस केन्द्र का उद्देश्य सामाजिक शोषण अन्याय अमीर एवं गरीब वर्ग के मध्य दूरी के विरुद्ध पुलिस की संवेदनशीलता तथा विशेषतः अजा/अजजा एवं पिछड़ा वर्ग के असाहय व्यक्तियों को सामाजिक न्याया दिलाना है।

बिन्दु क्रमांक :- 09

उपरोक्तानुसार विवरणित है इस हेतु मुख्यालय स्तर पर राज्य शासन के निर्देशानुसार क्रियान्वयन किया जाता है एवं संकलित विवरणिका का मध्य प्रदेश पुलिस की वेब साईड पर उपलब्ध है।

www.mppolice.gov.in

बिन्दु क्रमांक :- 10

जिला इकाई हरदा में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम पद वेतन एवं उन्हे प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी निम्नानुसार है:-

समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को यदपि वेतन के साथ प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएँ (कान्सेशन्स) राज्य शासन के नियमान्तर्गत कोष संहिता के मान से देय है। तथापि विभागीय स्तर पर विनिर्दिष्ट एक माह का अतिरिक्त वेतन दो भाग में अप्रैल एवं अक्टूबर (वार्षिक) अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी को दिया जाता है।

- जिला बल हरदा

ACNO	NAME	RANK	लत्ते
1	SHRI K.P.VENKATESHWAR RAO	S.P. HARDA	29918
2	SHRI AKHILESH KMAR JHA	ADDL S.P. HARDA	34238
3	SHRI ABHISHEK RAJAN	SDOP HARDA	21338
1	N.S.BAIS	INSPECTOR	17848
2	S.D.MULEY	INSPECTOR	16263
3	J.P.MISHRA	INSPECTOR	19171
4	AJEET SINGH CHOUHAN	SUBEDAR	14430
5	SUKHARAM BAGBAIYA	SUB INSPECTOR	15312
6	J.U.SIDDIQUE	SUB INSPECTOR	14485
7	MOHAN PATEL	SUB INSPECTOR	14485

8	BANKE LAL DHURBEY	SUB INSPECTOR	14099
9	K.S.SOLANKI	SUB INSPECTOR	14871
10	HARIS JEJULKAR	SUB INSPECTOR	12942
11	DEV LAL PRAM	SUB INSPECTOR	17572
12	MUKUNDA	SUB INSPECTOR	14871
13	S.D.SHARMA	HEAD CLORK	14335
14	RAVI KUMAR CHOUBEY	STENO	12295
15	MANJU LATA PRADHAN	SI(M)	9258
16	H.K.VARMA	SI(M)	15993
17	O.P.PARASAR	ASI(M)	8492
18	SMT SNDHYA MERAL	ASI(M)	9932
19	N.K.PAHADE	ASI	12335
20	K.L.BARDE	ASI	13958
21	AMAR SINGH DHAKAD	ASI	12776
22	M.S.THAKUR	ASI	12335
23	ISHWAR SINGH	ASI	13658
24	B.M. DUBEY	ASI	12335
25	RANDHIR SINGH	ASI	13438
26	KISHORI LAL GUJRE	ASI	12997
27	KALECTAR SINGH	ASI	11894
28	G.P.MUKATI	ASI	13658
29	GANGADHARAN	ASI	13217
30	R.B.SHRIWASTAV	ASI	13438
31	RAKESH GOUR	ASI	12997
32	SHANKAR LAL WAMNE	ASI	12997
33	RAKESH TIWARI	ASI	13438
34	REWARAM	HEAD CONSTABLE	11849
35	SAMBHU DAYAL	HEAD CONSTABLE	12069
36	AJAY RAGHUWANSHI	HEAD CONSTABLE	9203
37	RAGHUNATH	HEAD CONSTABLE	12510
38	GIRJASHANKAR	HEAD CONSTABLE	10790
39	RAMDAYAL VARMAN	HEAD CONSTABLE	10158
40	NOOR MOHAMAD PATHAN	HEAD CONSTABLE	10790
41	VINOD KUMAR	HEAD CONSTABLE	9017
42	NAGESH KUMAR	HEAD CONSTABLE	8850
43	VHID KHAN	HEAD CONSTABLE	8850
44	BALRAM BARDE	HEAD CONSTABLE	10614
45	GOPAL SINGH	HEAD CONSTABLE	12069
46	SHIV LAKHAN	HEAD CONSTABLE	13392

47	DHARAM RAJ	HEAD CONSTABLE	13172
48	SUKHRAM	HEAD CONSTABLE	12319
49	KAMLESH	HEAD CONSTABLE	9555
50	NARMADA PRASAD	HEAD CONSTABLE	13172
51	JAGDEESH PRASHAD	HEAD CONSTABLE	13147
52	SOBRAN	HEAD CONSTABLE	12069
53	SURESH	HEAD CONSTABLE	13863
54	SANTOSH	HEAD CONSTABLE	10511
55	PRAMOD KUMAR	HEAD CONSTABLE	12069
56	PUSMAL CHAUDHRY	HEAD CONSTABLE	13172
57	SATYA NARAYAN	HEAD CONSTABLE	13613
58	GULAB	HEAD CONSTABLE	8817
59	JAIVEER SINGH	HEAD CONSTABLE	13613
60	DALPAT	HEAD CONSTABLE	11628
61	SHELENDRA	CONSTABLE	8296
62	JAGDEESH CHORASIYA	CONSTABLE	10942
63	SATYENDRA GOUR	CONSTABLE	9641
64	MANOHAR LAL	CONSTABLE	8626
65	KAILASH MORYA	CONSTABLE	9554
66	RAMESHWAR	CONSTABLE	10060
67	ANTIM PRAKASH	CONSTABLE	8792
68	KAMLESH TIWARI	CONSTABLE	8131
69	MANOJ KHARE	CONSTABLE	7669
70	KARAN	CONSTABLE	12044
71	RADHU SINGH	CONSTABLE	8792
72	SANTOSH	CONSTABLE	9123
73	CHANDAN SHAH	CONSTABLE	10060
74	BADRI PRASAD	CONSTABLE	10060
75	UMESH RAGHUWANSHI	CONSTABLE	8957
76	SHAILENDRA DIXIT	CONSTABLE	9707
77	OM PRAKASH	CONSTABLE	8626
78	MAHESH KUMAR	CONSTABLE	8296
79	CHHOTE LAL	CONSTABLE	12044
80	VIJAY BAHADUR	CONSTABLE	8992
81	VIJAY RATHOR	CONSTABLE	10765
82	NONERAM	CONSTABLE	10765
83	GYAPRASAD	CONSTABLE	8957
84	KALPNA KATARE	CONSTABLE	10589
85	RAJESH BORASI	CONSTABLE	9707

86	BHAGWAN DAS	CONSTABLE	9288
87	SUNIL	CONSTABLE	8000
88	RAJESH	CONSTABLE	8000
89	LOTAN SINGH	CONSTABLE	12044
90	LAL SINGH PATEL	CONSTABLE	12706
91	BASANT KUMAR	CONSTABLE	8296
92	PRADEEP RAGHUWANSHI	CONSTABLE	9123
93	DEEP CHANDRA BHARTI	CONSTABLE	9288
94	AJAY	CONSTABLE	8331
95	KESHAW SINGH	CONSTABLE	9641
96	DEVKARAN	CONSTABLE	9883
97	MANGLESHWAR	CONSTABLE	9464
98	RAJENDRA PRASAD SAKYA	CONSTABLE	12069
99	MAHENDRA SINGH	CONSTABLE	11383
100	BHAGWAN DAS	CONSTABLE	11187
101	SHER SINGH	CONSTABLE	11383
102	MOHAN AWSYA	CONSTABLE	8626
103	LAXMINARAYAN	CONSTABLE	11603
104	MANJU LATA	CONSTABLE	10412
105	MUKUTDHARI	CONSTABLE	13588
106	HUKUM	CONSTABLE	8792
107	MAYA NAGLE	CONSTABLE	8792
108	SHVI SHANKAR PATHAK	CONSTABLE	12044
109	MAHESH	CONSTABLE	10060
110	VIKRAM SINGH	CONSTABLE	8496
111	KOSHAL KISOR	CONSTABLE	8792
112	MADAV SING	CONSTABLE	8131
113	SHYAM SINGH	CONSTABLE	8792
114	ROHIT	CONSTABLE	8604
115	ASHOK SINGH	CONSTABLE	9123
116	PRAMOD SUKAla	CONSTABLE	12906
117	DEVI SINGH	CONSTABLE	8461
118	ABDUL KALIM	CONSTABLE	12044
119	NARESH DHURWE	CONSTABLE	8626
120	GULAB CHAND	CONSTABLE	12465
121	RAMESH PATEL	CONSTABLE	9707
122	SOMPAL	CONSTABLE	11824
123	MOINUDDIN	CONSTABLE	12044
124	SATYANARAYAN	CONSTABLE	12024

125	UDAIRAM	CONSTABLE	11383
126	HARI PRASAD	CONSTABLE	12044
127	GULAB	CONSTABLE	12069
128	SITARAM	CONSTABLE	11824
129	HERKISHAN	CONSTABLE	12926
130	VIMAL KISHORE	CONSTABLE	12951
131	CHANDRAPAL	CONSTABLE	11824
132	JAI PRAKASH	CONSTABLE	10765
133	INDAL SINGH	CONSTABLE	11383
134	DHANRAJ	CONSTABLE	10942
135	JAGDISH	CONSTABLE	12265
136	NANDLAL	CONSTABLE	10765
137	PARIS WADEKAR	CONSTABLE	9474
138	PREM LAL	CONSTABLE	9641
139	KAMAL SINGH	CONSTABLE	8792
140	MANGILAL	CONSTABLE	9026
141	BRAJESH	CONSTABLE	9288
142	OM PRAKASH VIJGAWANE	CONSTABLE	11824
143	KISHAN KUMAR	CONSTABLE	9203
144	NANAKRAM	CONSTABLE	10721
145	DINESH SINGH	CONSTABLE	9123
146	RAVINDRA SINGH	CONSTABLE	9641
147	AJAY PRATAP SINGH	CONSTABLE	8957
148	SUMERILAL	CONSTABLE	10765
149	USHA THAKUR	CONSTABLE	10589
150	SAEED KHAN	CONSTABLE	8792
151	SANTOSH	CONSTABLE	8792
152	RAM BHOG	CONSTABLE	8792
153	TEERATH PRASAD	CONSTABLE	8461
154	ANITA CHOUN	CONSTABLE	8992
155	LALIT KUMAR	CONSTABLE	12265
156	SHIV NARAYAN	CONSTABLE	12044
157	REWA SHANKER	CONSTABLE	11603
158	HEMRAJ AC/53	CONSTABLE	12706
159	SHEKH GAFFAR	CONSTABLE	10523
160	RAJESH JAIN	CONSTABLE	9530
161	AJAIB RAO	CONSTABLE	8792
162	MADAN KUMAR	CONSTABLE	9883
163	KAMAL SINGH	CONSTABLE	12069

164	RAJENDRA	CONSTABLE	8792
165	KU. DEEPTI	CONSTABLE	8992
166	BALRAM	CONSTABLE	9530
167	ASHOK KUMAR	CONSTABLE	8792
168	VINOD KUMAR	CONSTABLE	8792
169	SUNIL KUMAR	CONSTABLE	8792
170	DAYA SHANKER	CONSTABLE	8792
171	MOTILAL	CONSTABLE	8792
172	PRAKASH	CONSTABLE	8792
173	SMT. SHABI	CONSTABLE	8792
174	PUNAM CHAND	CONSTABLE	8792
175	KARAN SINGH	CONSTABLE	8792
176	VIJAY SINGH	CONSTABLE	8992
177	RANJEET KUMAR	CONSTABLE	8792
178	ANUJ KUMAR	CONSTABLE	8792
179	NARAYAN SINGH	CONSTABLE	8792
180	HERAMB DAS	CONSTABLE	9530
181	ROOP SINGH	CONSTABLE	11187
182	DEVISINGH	CONSTABLE	11603
183	OM PRAKASH	CONSTABLE	11383
184	RAJU UIKEY	CONSTABLE	9123
185	GIRISH KUMAR	CONSTABLE	9464
186	NARAYAN SINGH	CONSTABLE	9288
187	SANTOSH	CONSTABLE	9555
188	PRAKASH KUMAR	CONSTABLE	10170
189	MOSHAM NIRAPURE	BOY ORDE	2062
190	TUSAR	BOY ORDE	3363
191	AUESH KUMAR CHOBEY	BOY ORDE	3363

• जिला विशेष शाखा हरदा में में कार्यरत बल का वेतन

1	R.N.MALVIYA	INSPECTOR (I)	18439
2	B.L. AHIRWAR AC/2004	SUB INSPECTOR	14971
3	RAJESH NARWADE	ASI(M)	10201

• अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण प्रकोष्ठ में कार्यरत पुलिस बल का वेतन मान

1	SHRI ALOK KUMAR SINGH	DSP AJK	24977
2	SHRI DURGESH KUMAR GOUTAM	DSP AJK II	18289

3	KAILASH	HEAD CONSTABLE	12530
4	VINAY KUMAR	HEAD CONSTABLE	13192
5	MANOJ KUMAR DUBEY	CONSTABLE	9172
6	RAJESH TIWARI	CONSTABLE	8807
7	DINESH SHARMA	CONSTABLE	9922
8	PHOON JENS TOPPO	CONSTABLE	12751
9	MAHESH	CONSTABLE	9898
10	HARI NARAYAN	CONSTABLE	9679
11	VIRENDRA	CONSTABLE	9569
12	MAHESH SHARMA AC/2011	CONSTABLE	9508
13	VIKRAMA	CONSTABLE	12059
14	BHUDEV	CONSTABLE	9138

बिन्दु क्रमांक :- 11

वर्ष में मदवार बजट आवंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी :-

वित्तीय वर्ष 2007-2008में बजट आवंटन/व्यय 31.3.08 की स्थिति में (जिला बल)					
मद		प्रस्तावित	आवंटन	व्यय	शेष
11-001	वेतन	12580000	12580000	12238170	341830
11-003	मंहगाई भत्ता	5414000	5414000	5098497	315503
11-008	अन्य भत्ते	699000	699000	1257159	558159
11-008	पुलिस को ईनाम	22000	22000	22000	0
11-009	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	54000	54000	39973	14027
11-027	मंहगाई वेतन	5690000	5690000	5385315	304685
12	मजदूरी	100000	100000	99294	706
21-001	यात्रा भत्ता	665020	665020	664832	188
22-001	डाक तार व्यय	5000	5000	5000	0
22-002	दूरभाष व्यय	278000	278000	187383	90617
22-003	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	15000	15000	12450	2550
22-004	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	5600	5600	5528	72
22-005	बिजली और जलप्रभार	178000	178000	178000	0
22-007	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	129000	129000	128995	5
22-008	अन्य आकस्मिक व्यय	26000	26000	25971	29
22-009	पेट्रोल, तेल आदि	1755000	1755000	1754935	65
22-011	किराया, महसूल और स्थानीय कर	4800	4800	0	4800
24-002	प्रशिक्षण	17503	17503	17503	0
31-006	सफाई व्यवस्था	19036	19036	18975	61
31-007	परिवहन व्यवस्था	13000	13000	3584	9416
32-000	पी0सी0 एण्ड आर	144900	144900	144900	0
33-002	मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	10000	10000	9976	24
33-003	वाहन अनुरक्षण	245000	245000	244935	65

10	अज्ञात मृतक
11	अपराधियों की कार्यप्रणाली
12	अपराधियों एवं आरोपियों के अंगुल चिन्ह
13	अपराध डायरियों
14	अपराधियों का रिकार्ड
15	शिकायत जाँच कार्यवाही।

बिन्दु क्रमांक :- 15

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिये विभाग/ संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण।

इस इकाई में यद्यपि विभाग का प्रथक कोई पुस्तकालय अथवा पब्लिक काउंटर जैसी व्यवस्था नहीं है। तथापि समाचार पत्रों जनसंपर्क कार्यालय कंट्रोल रूम जिला पुलिस कार्यालय तथा रक्षित केन्द्र के सूचना पटल सिटी केवल जनसंवाद / विशेष अभियान एवं मुनादी के द्वारा आम नगरिकों को सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है।

- अखबारों के द्वारा
- सूचना पटल
- अभिलेखों को निरीक्षण
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
- उपलब्ध विभागीय मेनुअल
- लोक प्रधिकारण की वेवसाईड

बिन्दु क्रमांक :- 16

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु अपीली अधिकारी / लोकसूचना अधिकारी / सहायक लोकसूचना अधिकारी :-

जिला स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के के क्रियान्वयन हेतु अपीली अधिकारी / लोकसूचना अधिकारी / सहायक लोकसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जो निम्न प्रकार से है :-

- जिला स्तर पर :-

○ सहायक लोक सूचना अधिकारी :-

अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)	श्री अभिषेक राजन	224571	224570	9425412014
उप पुलिस अधीक्षक अजाक	श्री अलोक कुमार सिंह	224442		9425129750

○ जिला लोक सूचना अधिकारी :-

अति.पुलिस अधीक्षक	श्री अखिलेश झा रा.पु. से	223322		9425127151
----------------------	-----------------------------	--------	--	------------

○ अपीलीय अधिकारी :-

पुलिस अधीक्षक	श्री के.पी.वेंकटेश्वर राव भा.पु.से.	223277	223288	9425191602
---------------	--	--------	--------	------------

● फेक्स नम्बर :- 224715

● ई-मेल sp_harda@mppolice.gov.in

○ अनुविभाग स्तर पर

○ सहायक लोक सूचना अधिकारी

नाम कार्यालय	अधिकारी का नाम	अफिस नम्बर	निवास	मोबाईल
रक्षित केन्द्र	सूबेदार श्री अजीत सिंह चौहान	224712		
थाना हरदा	निरीक्षक श्री एन.एस.बैस	222100		9827314342
थाना छीपाबड़	निरीक्षक श्री एस.डी.मूले	251346		9826056568
थाना टिमरनी	निरीक्षक श्री जे.पी.मिश्रा	230231		9424468667
थाना रहटगांव	उप निरीक्षक श्री के.एस.सौलंकी	234433		9425088153
थाना सिराली	उप निरीक्षक श्री मोहन पटेल	256133		9425041789
थाना हंडिया	उप निरीक्षक श्री जे.यु.सिद्धकी	272255		9425445287
थाना अजाक	उ.पु.अ. श्री डी.एस.गौतम	226797		9329033555

बिन्दु क्रमांक :- 17

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को अपलब्ध सुविधाओं को विवरण :-

आम नागरिकों को उनकी आवश्यकतानुसार समय-समय पर सामुहिक रूप से अभियान स्वरूप व्यक्तिगत अपेक्षा एवं आवेदनों पर निम्नानुसार

सूचना उपलब्ध कराई जाती है। कार्यालय एवं विभागीय स्तर से संबंधित समस्त सूचनाओं का वर्गिकृत अभिलेखानुसार संधार किया गया है।

1. सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिये विभाग / संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण ।
2. सूचना पुस्तिका की उपलब्धता ।
3. मुद्रित रूप में वेब साईड पर इलेक्ट्रनिक फार्म में
4. आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का समाचार पत्र इलेक्ट्रनिक मिडिया जिन घोषणा के माध्यम से एवं जनता को निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने ।

मध्य-प्रदेश पुलिस विभाग की वेब साईड www.mpolice.gov.in
जिला पुलिस हरदा का ई-मेल :- sp_harda@mppolice.gov.in